

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

वन विद्यालय शिवपुरी प्रांगण, छत्री रोड, शिवपुरी (म.प्र.)

दूरभाष : 07492-223392, ई-मेल : ccf.svp@mp.gov.in

क्रमांक/डी.एम./2021/3624

शिवपुरी, दिनांक : 21/09/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0।

विषय :-

सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना का वन प्रकरण स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

संदर्भ :-

Proposal No. FP/MP/IRRIG/34676/2018 (SARKULA MEDIUM LIFT IRRIGATION)

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी का पत्र क्रमांक/डी.एम./2021/5120
दिनांक 17/09/2021 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 21/09/2021)

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत, वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी के सन्दर्भित पत्र से Proposal No. FP/MP/IRRIG/34676/2018 (SARKULA MEDIUM LIFT IRRIGATION) निर्धारित प्रारूप (Part - II) पर ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी में प्रस्ताव इस कार्यालय में सहमति हेतु प्रेषित किया गया है।

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी द्वारा दिनांक 18/08/2021 को स्थल निरीक्षण किया गया था। उनकी अनुशंसा अनुसार प्रस्ताव, Part - III पूर्ण कर, अनुमोदन सहित ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी (02 प्रतियों) में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 02 प्रतियां।

(डी.के.पालीवाल)

मुख्य वन संरक्षक

शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

पृ. क्रमांक/डी.एम./2021/3625

प्रतिलिपि:-

शिवपुरी, दिनांक : 21/09/2021

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी की ओर सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक

शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

भाग-III
(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

Proposal No. FNP/MP/IRRIIG/34676/2018 (SARKULA MEDIUM LIFT IRRIGATION)

1	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है तथा वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी के द्वारा दिनांक 18/08/2021 से किये गये स्थल निरीक्षण से सहमत हूँ।
2	क्या संबंधित वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत हैं।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र न्यूनतम होने से तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल शिवपुरी द्वारा स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा अनुसार सहमति प्रदान की जाती है।


 (डी.के.पालीवाल)
 मुख्य वन संरक्षक
 शिवपुरी वृत्त शिवपुरी